

अल्पकालीन उद्धारण आमंत्रण सूचना सं.-06, वर्ष 2017-18

एतद द्वारा पथ प्रमंडल, मधेपुरा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यपालक अभियंता के लिए विभागीय कार्यों/पथों के निरीक्षण के लिए भाड़े की डीजल वाहन नया स्कार्पियो/इनोवा (AC युक्त) का उद्धारण आमंत्रित किया जाता है। उद्धारणदाता से साफ-साफ अंक एवं अक्षर में प्रति दिन वाहन का दर बंद लिफाफा में दिनांक- 20.07.2017 को 3:00 बजे अपराहन तक कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा तथा उसी दिन उद्धारणदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष 3:30 बजे अपराहन में खोला जायेगा।

1. भाड़े की राशि का भुगतान गाड़ी के उपयोग में लाये गये प्रतिदिन की निर्धारित दर से नियमानुकूल भुगतान किया जायेगा।
2. उद्धारणदाता को डीजल की खपत का भी प्रति लीटर की दर से कि०मी० देना होगा।
3. उद्धारण की गाड़ी का स्वामित्व का ऑनर बुक ईत्यादि संबंधी प्रमाण-पत्र उद्धारण के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। गाड़ी कोमरसियल नम्बर होना चाहिए।
4. भाड़े की राशि का भुगतान पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध आवंटन के पश्चात किया जायेगा। इसके लिए किसी भी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।
5. उद्धारण का दर वर्ष 2017-18 के लिए मान्य होगा।
6. वाहन का उपयोग पूर्व में किसी भी अवैध कार्य में नहीं लिया गया है, जिसका प्रमाण-पत्र वाहन मालिक को देना होगा।
7. वाहन से संबंधित सभी टैक्स की भरपाई/भुगतान तथा अद्यतन होना चाहिए।
8. वाहन इन्श्योर्ड (बीमाकृत) होना चाहिए।
9. वाहन की सभी प्रकार की मरम्मत की जवाबदेही वाहन मालिक की होगी।
10. वाहन में घोषित मोबिल की आपूर्ति वाहन मालिक को करनी होगी।
11. वाहन के ड्राईवर का अद्यतन एवं वैद्य ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।
12. वाहन का उपयोग के विरुद्ध प्रतिदिन के हिसाब से स्वीकृत दर एवं उपयोग किये गये माह जोड़कर भुगतान किया जायेगा। किसी अन्य प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
13. वाहन चालक का चरित्र प्रमाण-पत्र वाहन मालिक को देना होगा।
14. वाहन का उपयोग के लिए लॉगबुक संधारण वाहन चालक की जवाबदेही होगी। जिसमें उपयोग करनेवाले पदाधिकारी यात्रा संबंधी प्रविष्ट करेगे एवं इसके आधार पर भुगतान किया जायेगा।

15. प्रतिदिन की गणना शुन्यकाल से रात्रि के मध्यकाल तक एक दिन मान्य होगी।
16. वाहन की सुरक्षा वाहन मालिक एवं वाहन चालक की होगी, एवं वाहन मालिक को सिर्फ वाहन का भाड़ा का भुगतान होगा। वाहन में तेल आपूर्ति विभाग के द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जायेगा।
17. वाहन की सेवा देने में वाहन मालिक एवं वाहन चालक के द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि/असभ्यता पाये जाने पर वाहन को तत्काल प्रभाव से बिना सूचना के हटा दिया जायेगा।
18. उद्धरणदाता को एक लीटर डीजल में कितने किलो मीटर ए०सी०/नन ए०सी० चलेगी, अंकित करना होगा।

301-

कार्यपालक अभियंता,
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा
ज्ञापांक 611/प.नि.वि., दिनांक... 13/07/2017/
प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को जिला के
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं वृहद प्रचार-प्रसार करने हेतु अग्रसारित।

N. Alam
13/7/17
कार्यपालक अभियंता,
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा
13/07/17